

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. <u>अपील संख्या-1832/2015/करौली</u> | 7. <u>अपील संख्या-1838/2015/करौली</u> |
| 2. <u>अपील संख्या-1833/2015/करौली</u> | 8. <u>अपील संख्या-1839/2015/करौली</u> |
| 3. <u>अपील संख्या-1834/2015/करौली</u> | 9. <u>अपील संख्या-1840/2015/करौली</u> |
| 4. <u>अपील संख्या-1835/2015/करौली</u> | 10. <u>अपील संख्या-1841/2015/करौली</u> |
| 5. <u>अपील संख्या-1836/2015/करौली</u> | 11. <u>अपील संख्या-1842/2015/करौली</u> |
| 6. <u>अपील संख्या-1837/2015/करौली</u> | 12. <u>अपील संख्या-1843/2015/करौली</u> |

मैसर्स हिण्डौन स्लेट प्रोडक्ट्स (इण्डिया), करौली.व्यवहारी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर.राजस्व.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 13. <u>अपील संख्या-355/2016/करौली</u> | 19. <u>अपील संख्या-361/2016/करौली</u> |
| 14. <u>अपील संख्या-356/2016/करौली</u> | 20. <u>अपील संख्या-362/2016/करौली</u> |
| 15. <u>अपील संख्या-357/2016/करौली</u> | 21. <u>अपील संख्या-363/2016/करौली</u> |
| 16. <u>अपील संख्या-358/2016/करौली</u> | 22. <u>अपील संख्या-364/2016/करौली</u> |
| 17. <u>अपील संख्या-359/2016/करौली</u> | 23. <u>अपील संख्या-365/2016/करौली</u> |
| 18. <u>अपील संख्या-360/2016/करौली</u> | 24. <u>अपील संख्या-366/2016/करौली</u> |

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर.राजस्व.

बनाम

मैसर्स हिण्डौन स्लेट प्रोडक्ट्स (इण्डिया), करौली.व्यवहारी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया, अभिभाषकव्यवहारी की ओर से.

श्री सीतांशु शर्मा, उप-राजकीय अभिभाषकराजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/11/2018

निर्णय

1. अपील संख्या 1832/2015 से लगायात 1848/2015/करौली (क्रम संख्या 1 से 12) अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 355/2016 से लगायात 366/2016/करौली (क्रम संख्या 13 से 24) विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 20.04.2015 को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के तहत आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज व शास्ति की मांग राशियां कायम की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 द्वारा कर व ब्याज को यथावत

लगातार.....2

निकाला गया कि उक्त विकील माल करमुक्त वस्तुओं की अर्जुनी-प्रथम से एवं इन्टरनेट से तख्ती व विलपबोर्ड की जानकारी जुटाने पर यह निष्कर्ष की जाकर करमुक्त की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध संसाधनों मुख्य रूप से विलप बोर्ड की जा विकील की गयी वह तख्ती (Takhiti) के रूप में व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तुओं का विषय 'करमुक्त' किया गया। इन वस्तुओं में से बोर्ड, बार्ड प्वाइण्टर का विनिर्माण व विकय किया जाता है। आलोच्य अवधि में द्वारा स्लैट, विलप बोर्ड, डस्टर राईटिंग बोर्ड, क्लाइंट माकर, रोलर बोर्ड, चॉक अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2014 को फर्म का सर्वेक्षण किया गया। व्यवहारी उक्त समस्त प्रकरणों के साक्षित तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण प्रति प्रत्येक पत्रावली पर प्रथक-प्रथक रखी जा रही है।

2. समस्त प्रकरणों के पक्षकार, तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक

अपील संख्या	अपी.संख्या की अर्जुनी दिनांक	कर निर्धारण	विवादित	विवादित कर	आल	आरक्षित अर्जा संख्या 61
1832/15	51/आरवैट	30.04.15	09-10	28215	18905	--
1833/15	57/आरवैट	30.04.15	09-10	79830	53490	--
1834/15	52/आरवैट	30.04.15	10-11	50410	27425	--
1835/15	58/आरवैट	30.04.15	10-11	219010	120460	--
1836/15	53/आरवैट	30.04.15	11-12	15380	6615	--
1837/15	59/आरवैट	30.04.15	11-12	300220	129095	--
1838/15	54/आरवैट	30.04.15	12-13	212540	65890	--
1839/15	60/आरवैट	30.04.15	12-13	1003570	311110	--
1840/15	55/आरवैट	30.04.15	13-14	202890	38550	--
1841/15	61/आरवैट	30.04.15	13-14	1519620	288730	--
1842/15	56/आरवैट	30.04.15	14-15	231910	16235	--
1843/15	62/आरवैट	30.04.15	14-15	1866550	130660	--
355/16	51/आरवैट	30.04.15	09-10	--	56430	--
356/16	57/आरवैट	30.04.15	09-10	--	159660	--
357/16	52/आरवैट	30.04.15	10-11	--	100820	--
358/16	58/आरवैट	30.04.15	10-11	--	438020	--
359/16	53/आरवैट	30.04.15	11-12	--	30760	--
360/16	59/आरवैट	30.04.15	11-12	--	600440	--
361/16	54/आरवैट	30.04.15	12-13	--	425080	--
362/16	60/आरवैट	30.04.15	12-13	--	2007140	--
363/16	55/आरवैट	30.04.15	13-14	--	405780	--
364/16	61/आरवैट	30.04.15	13-14	--	3039240	--
365/16	56/आरवैट	30.04.15	14-15	--	463820	--
366/16	62/आरवैट	30.04.15	14-15	--	3733100	--

निर्णयका विवरण निम्नानुसार है :-
 बिन्दु पर व विभाग द्वारा आरक्षित के बिन्दु पर उक्त अपील पेश की गई है, इस आदेश दिनांक 30.09.2015 से अहित होकर व्यवहारी द्वारा कर व आल के रखते हुए आरक्षित आरक्षित को अपास्त किया गया है। अपीलिय अधिकारी के

1-24. अपील संख्या - 1832 से 1843/2015 एवं 355 से 366/2016/करीली.

1-24. अपील संख्या – 1832 से 1843/2015 एवं 355 से 366/2016/करौली.

अंकित नहीं होने से इन वस्तुओं को कर योग्य मानते हुए कर व ब्याज का आरोपण किया गया तथा अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 30.09.2015 से व्यथित होकर कर व ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा व शास्ति के बिन्दु पर राजस्व/विभाग द्वारा उक्त समस्त अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने विभिन्न वस्तुओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक वस्तु की प्रकृति एवं उपयोग अनुसार करमुक्त होने का तर्क दिया। यह कथन किया कि क्लिपबोर्ड एवं डस्टर पर 5 प्रतिशत से करारोपण किया जाना पूर्णतया विधि के विरुद्ध है क्योंकि उनके द्वारा जिस क्लिपबोर्ड का विक्रय किया गया है उसे हिन्दी में तख्ती कहा जाता है, वेट अधिनियम की कर अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 46 पर तख्ती का नाम विहित होने से वह करमुक्त है। इसी तरह उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले स्कूल बोर्ड में प्रयुक्त होने वाला डस्टर भी करमुक्त वस्तु है क्योंकि कर अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या-1(ए)(14) में डस्टर का नाम अंकित होने से सभी तरह के डस्टर करमुक्त की श्रेणी में आते हैं, फलतः व्यवसायी द्वारा इन वस्तुओं का करमुक्त विक्रय करने में कोई त्रुटि नहीं की थी, अतः आरोपित किया गया कर, ब्याज एवं शास्ति स्वतः ही अपास्तनीय है।

6. विद्वान अभिभाषक ने क्लिपबोर्ड के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कथन किया कि उनके द्वारा अधिकतम "तख्ती" का विक्रय राजस्थान सरकार के बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न जिलों के परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किये गये टेण्डर अनुसार की थी। इसी तरह विभिन्न पंचायतों द्वारा आवश्यकतानुसार किये गये टेण्डर अनुसार "तख्ती" की सप्लाई की गई थी। उन्होंने कथन किया कि विभिन्न राजकीय विभागों द्वारा खरीद हेतु जारी टेण्डर "तख्ती" की खरीद के लिये ही किये गये थे तथा तख्ती के आकार-प्रकार का विवरण टेण्डर में दिया गया है कि वह गत्ते या अन्य मैटेरियल से बना जिसके ऊपर कागज या प्लास्टिक आवरण हो एवं उस पर एक क्लिप भी लगा हुआ होना चाहिये। इस तरह उन विभागों द्वारा जिस "तख्ती" की खरीद की गई थी वह क्लिपबोर्ड है।



लगातार.....4

1-24. अपील संख्या – 1832 से 1843 / 2015 एवं 355 से 366 / 2016 / करौली.

इस तरह उनके द्वारा विक्रय किये गये क्लिपबोर्ड हिन्दी में "तख्ती" कहलाने वाली वस्तु होने से वह करमुक्त वस्तु है। उन्होंने आगे कथन किया कि स्वयं सरकारी विभागों द्वारा भी क्लिपबोर्ड को सामान्य बोलचाल में "तख्ती" जानने के अनुसार टेण्डर करते समय हिन्दी में इसे "तख्ती" अंकित किया गया है एवं ऐसी तख्ती के आकार-प्रकार के वर्णन में इस पर क्लिप लगा होना बताया गया है जो एक क्लिपबोर्ड होता है। इस तरह हिन्दी में क्लिपबोर्ड को "तख्ती" ही कहा जाता है, फलतः उनके द्वारा विक्रय किये गये "क्लिपबोर्ड" को "तख्ती" नहीं मानकर इसे करयोग्य अवधारित किया जाना विधि एवं न्याय के विरुद्ध है।

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेशों में विभिन्न चित्रण के साथ क्लिपबोर्ड को तख्ती नहीं बताने का जो प्रयास किया है वह पूर्णतया भ्रामक है क्योंकि उनके द्वारा जो चित्रण किये गये हैं वह स्लेट के चित्र हैं जबकि कर अनुसूची-प्रथम में स्लेट अलग से करमुक्त है। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा इन्टरनेट से प्राप्त किये गये तख्ती के विवरण को भी पत्रावली पर पेश किया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उस विवरण को बिना लिखे ही स्वयं की ओर से क्लिपबोर्ड को अलग वस्तु बताया है जबकि अपीलीय आदेश के पृष्ठ संख्या 6 पर प्रस्तुत hinkhoj.com में इन्टरनेट पर क्लिपबोर्ड को स्पष्ट रूप से कागज आदि पकड़ने की तख्ती बताया हुआ है जो यह स्पष्ट करता है कि क्लिपबोर्ड को हिन्दी में तख्ती ही कहा जाता है। इस तरह अपीलीय आदेश के इसी पेज संख्या 6 पर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, रानीवाड़ा द्वारा दिये गये आपूर्ति बाबत निविदा में भी कागज या प्लास्टिक आवरण से बने बोर्ड जिस पर एक क्लिप लगी हो, ऐसी "तख्ती" सप्लाई करने का आदेश है। इस तरह उनके द्वारा विक्रय किया गया माल स्कूल में तख्ती के रूप में ही प्रयुक्त किया गया है जो अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 46, जिसमें चॉक स्टिक, तख्ती एवं 500/- रुपये तक स्कूल बैग अंकित किया हुआ है, में सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि स्कूल में काम में आने वाली ये तीनों वस्तुएं करमुक्त की गयी हैं एवं उनके द्वारा विक्रय की गयी तख्ती विद्यार्थियों के परीक्षा में काम में ली जाने वाली तख्ती है एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा इसे स्कूल किट के रूप में छात्रों को सप्लाई किया जाता है। उक्त कथन अनुसार इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के आदेशों को अपास्त करने का अनुरोध किया।



लगातार.....5

1-24. अपील संख्या – 1832 से 1843/2015 एवं 355 से 366/2016/करौली.

8. उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश के पृष्ठ संख्या 2 पर तख्ती के बारे में यह विवरण अंकित किया है कि विधायिका का मन्तव्य लकड़ी के हथियुक्त पट्टी जिस पर छोटे बच्चे चॉक या खड़िया मिट्टी से अक्षरज्ञान सीखते हैं, उसे तख्ती कहते हैं, जो पूर्णतया गलत व्याख्या है क्योंकि जिस पट्टी पर चॉक या खड़िया मिट्टी से लिखते हैं उसे स्लेट कहा जाता है एवं वह स्लेट अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 30 में पृथक से अंकित है। इस तरह स्लेट एवं तख्ती को एक ही वस्तु माना जाना स्वतः त्रुटिपूर्ण है।

9. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उनके द्वारा निर्मित एवं विक्रय किये गये डस्टर को भी अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 1(ए) के बिन्दु संख्या 14 में अंकित होने से इसे भी करमुक्त विक्रय करना विधिसम्मत बताया एवं इस बिन्दु पर भी अपील स्वीकार किये जाने का कथन किया। यह भी कथन किया कि इस प्रविष्टि में वस्तु के उपयोग का कोई वर्णन नहीं है अतः सभी तरह के "डस्टर" को करमुक्त माना जाना अनिवार्य है चाहे वह मैटेरियल कृषि हेतु प्रयुक्त हो या शिक्षा हेतु प्रयुक्त हो।

10. विद्वान अभिभाषक ने चॉर्ट बोर्ड, रोलअप बोर्ड/चार्ट, चार्ट पॉइन्टर, चार्ट बोर्ड पर करारोपण किये जाने को विधिविरुद्ध बताते हुए कथन किया कि ये वस्तुएं एज्युकेशनल प्रोडक्ट है जो अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 5 के तहत अंकित होने से करमुक्त है। फलतः इन वस्तुओं पर किया गया करारोपण भी अपास्तनीय बताया।

11. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने आरोपित कर पर ब्याज के आरोपण का विरोध करते हुए कथन किया कि ब्याज का आरोपण केवल कर की गणना के पश्चात् ही किया जा सकता है, अतः आरोपित ब्याज को भी अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

12. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए आरोपित कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार करने तथा शास्ति के बिन्दु पर राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल देते हुए कथन किया कि व्यवहारी ने जानबूझकर कर योग्य माल को करमुक्त घोषित किया है वह करवंचना का स्पष्ट अपराध होने से शास्ति का आरोपण विधिसम्मत है।

13. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

1-24. अपील संख्या – 1832 से 1843/2015 एवं 355 से 366/2016/करौली.

14. उक्त प्रकरणों में ऊपर वर्णित तथ्यों के अनुसार व्यवहारी द्वारा स्लेट, क्लिपबोर्ड, डस्टर, राईटिंग बोर्ड, रोलअप बोर्ड, रोलर बोर्ड, चॉक बोर्ड, चार्ट पॉइंटर एवं चार्ट का विनिर्माण किया जाकर विक्रय किया जा रहा था। इन वस्तुओं को व्यवसायी द्वारा वेट अधिनियम की अनुसूची-प्रथम की विभिन्न प्रविष्टियों में अंकित होना मानते हुए इन वस्तुओं के विक्रय पर कर नहीं चुकाया गया था, परन्तु प्रतिकरापवंचन वृत्त द्वारा दिनांक 12.01.2015 को व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण करते समय माल का भौतिक सत्यापन किया जाने पर पाया कि जिन वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है, उनमें से केवल "स्लेट" ही करमुक्त माल है जबकि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत अन्य सभी तरह की वस्तुएं कर योग्य हैं एवं इनका विक्रय "करमुक्त" दर्शाते हुए किया गया है जिसे करापवंचन का कृत्य माना गया।

15. उक्त प्रकरण में विवादित विभिन्न वस्तुओं में से सर्वप्रथम क्लिपबोर्ड के विक्रय पर करदेयता के बिन्दु पर विचार किया गया। इस प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से क्लिपबोर्ड को "तख्ती" होना बताते हुए इस पर किये गये करारोपण का पुरजोर विरोध किया है एवं यह कथन किया है कि उनके द्वारा विक्रय की गई तख्ती को ही अंग्रेजी भाषा में क्लिपबोर्ड कहा जाता है एवं कर अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 46 में "तख्ती" का अंकन होने से यह करमुक्त है। इस वस्तु के सम्बन्ध में व्यवहारी की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलीय आदेश के पृष्ठ संख्या 6 का अवलोकन करने पर पाया कि इसमें इन्टरनेट से प्राप्त डिक्शनरी में क्लिपबोर्ड को हिन्दी में कागज आदि पकड़ने की तख्ती बताया हुआ है तथा राज्य सरकार के बाल विकास परियोजना के विभिन्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई निविदाओं में भी तख्ती के लिये दिये गये विवरण में इसे कागज या प्लास्टिक के कार्डबोर्ड जिस पर एक क्लिप लगा हुआ हो, बताया है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु जिसे विभिन्न बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा प्री-स्कूल किट में शामिल किया है उसमें क्लिपबोर्ड की ही खरीद है जो "तख्ती" ही है जो छात्रों द्वारा उपयोग में ली जाती है एवं क्लिपबोर्ड को ही हिन्दी में तख्ती कहा जाता है। इसी अनुसार सभी राजकीय विभागों एवं पंचायतों द्वारा क्लिपबोर्ड की खरीद करते वक्त इसीलिये तख्ती शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने पर पाया कि उनके द्वारा "तख्ती" को वह वस्तु बताया है जो लकड़ी के हथियुक्त पट्टी है एवं उस पट्टी पर बच्चे चॉक या खड़िया से अक्षरज्ञान सीखते हैं, यह निष्कर्ष उचित


लगातार.....7


1-24. अपील संख्या – 1832 से 1843/2015 एवं 355 से 366/2016/करौली.

नहीं है क्योंकि जिस पट्टी पर चॉक या खड़िया मिट्टी से लिखा जाता है उस वस्तु को स्लेट ही कहा जाता है एवं स्लेट की प्रविष्टि अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 30 में पृथक से अंकित की हुई है जिसमें स्लेट तथा स्लेट पेंसिल वर्णित है। इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन के पश्चात् "तख्ती" को स्लेट बताया है वह उचित नहीं है क्योंकि अपीलीय आदेश के पृष्ठ 6 पर "तख्ती" के टेण्डर नोटिस एवं इंटरनेट पर बताये गये चित्रण में "तख्ती" स्पष्ट वर्णित है तथा सामान्य बोलचाल में भी क्लिपबोर्ड को हिन्दी में तख्ती के रूप में जानने के कारण अलग-अलग स्थानों जैसे रानीवाड़ा, बालोतरा, धौलपुर, मावली उदयपुर आदि संस्थाओं के टेण्डर में तख्ती का ही आदेश किया गया है एवं इन सभी कार्यालयों द्वारा "अपेक्षित" तख्ती का जो वर्णन किया हुआ है उसमें एक बोर्ड पर क्लिप लगा हुआ होना बताया गया है। इस तरह उक्त व्यवहारी ने जिस क्लिपबोर्ड का विक्रय किया है वह माल तख्ती ही है, ऐसी स्थिति में अंग्रेजी के क्लिपबोर्ड शब्द को हिन्दी में तख्ती के रूप में जाना जाने में कोई संदेह नहीं रहता है एवं प्रविष्टि संख्या 46 में विशिष्ट रूप से तख्ती शब्द अंकित होने से इसे करमुक्त माने जाने में नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की थी परन्तु प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों में एक अलग अभिमत के कारण इसे कर योग्य वस्तु माना है जो विधिसम्मत नहीं है। फलतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाकर क्लिपबोर्ड अर्थात् तख्ती पर आरोपित कर एवं ब्याज अपास्त किये जाते हैं।

16. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विवादित किये गये अन्य आईटम डस्टर, राईटिंग बोर्ड, रोलर बोर्ड, चार्ट बोर्ड, चार्ट आदि वस्तुओं पर करदेयता पर विचार किया गया। सर्वप्रथम "डस्टर" के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये इस तर्क पर विचार किया गया कि उक्त व्यवहारी द्वारा स्कूलों में ब्लेकबोर्ड को साफ करने हेतु जिस डस्टर का विक्रय किया जाता है उन्हें इस आधार पर करमुक्ति दी जावे कि वह अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 1 के भाग (ए) के बिन्दु संख्या 14 में अंकित है। विद्वान अभिभाषक का यह तर्क अतार्किक, अव्यवहारिक एवं विधि के पूर्णतया विरुद्ध है। अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या-1 निम्न प्रकार है :-

S. No.	Description of Goods	Conditions, if any
1	2	3
1.	Agricultural implements manually operated or animal driven or tractor or power driven, spare parts and accessories thereof, namely:-	





1-24. अपील संख्या - 1832 से 1843/2015 एवं 355 से 366/2016/करौली.

1	2	3
	<p>(a) Ordinary Agricultural implements: 1. Hand Hoe (Khurpa or Khurpi); 2. Spade; 3. Gandasa; 4. Pick i.e. khudali; 5. Axe; 6. Khanta; 7. Belcha; 8. Patela; 9. Hand-driven chaff cutters and their parts (except bolts, nuts and springs); 10. Sickle; 11. Beguri; 12. Hand-wheel hoe; 13. Horticultural tools like budding, grafting knife, secateur, pruning shear or hook, hedge shear; sprinkler, rake; 14. Sprayer, duster and sprayer-cum- duster; 15. Soil injector; 16. Jandra; 17. Wheel barrow; 18. Winnowing fan or winnower; 19. Dibbler; 20. Puddler; 21. Fertilizer seed broadcaster; 22. Maize Sheller; 23. Groundnut decorticator; 24. Manure or seed screen; 25. Flame gun; 26. Seed grader; 27. Tasla (includes Ghamela, Tagari and Parat, made of ferrous metal; 28. Tangli; 29. Sprayer including their parts and accessories; 30. Parts and accessories specific to the sprinkler system and drip irrigation system including pipes which are used exclusively for sprinkler and drip system (but not used for ordinary works as carriage pipes).</p>	



17. उक्त प्रविष्टि के प्रथम दृष्ट्या पठन से ही स्पष्ट होता है कि अनुसूची-प्रथम की प्रथम प्रविष्टि केवलमात्र कृषि उपकरणों के लिये विहित की गयी है एवं बिन्दु संख्या (a) (14) में स्प्रेयर, डस्टर एवं स्प्रेयर कम डस्टर कृषि उपकरण है जिसे स्कूलों के ब्लैकबोर्ड का डस्टर बताना पूर्णतया अव्यवहारिक एवं अनुचित है, फलतः डस्टर के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है एवं इसे कर योग्य माना जाता है।

18. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील आधारों में अन्य वस्तुएं जैसे चार्ट, रोलअप चार्ट, चार्ट पॉइंटर, चार्ट बोर्ड को भी इस आधार पर करमुक्त बताया गया है कि वे अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 5 में सम्मिलित योग्य हैं, वह भी अनुचित तर्क है क्योंकि प्रविष्टि संख्या 5 जो दिनांक 1.4.2006 से 14.7.2014 के बीच निम्न प्रकार थी :-

"Books and periodicals & journals including maps charts and globe."

दिनांक 14.7.2014 से उक्त प्रविष्टि को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :-

"Books, Workbooks prescribed by any Board of School Education or University or used for educational purpose, periodicals and journals including maps, charts and globe."



लगातार.....9

1-24. अपील संख्या – 1832 से 1843/2015 एवं 355 से 366/2016/करौली.

19. इस प्रविष्टि के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस प्रविष्टि की सभी वस्तुएं स्कूल या विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिये ज्ञानयुक्त प्रिन्ट वाली किताबें, पीरियेडिकल जरनल्स एवं इसी से सम्बन्धित मैप्स, चार्ट एवं ग्लोब के लिये दी हुई है एवं दिनांक 14.7.2014 के बाद वर्कबुक जो कि शिक्षण के उद्देश्य से वर्कबुक के रूप में काम आती है, उन्हें करमुक्त किया गया है, न कि स्कूलों में शिक्षा देने के समय विभिन्न तरह की अन्य सामग्री या उपकरणों को करमुक्त किया गया है। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि व्यवसायी द्वारा जो चार्ट रोलअप, रोलर बोर्ड, चार्ट पॉइन्टर आदि विक्रय किये गये हैं उनका इस प्रविष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वे बुक्स या वर्कबुक ना होकर छात्रों को पढ़ाते वक्त कार्य में आने वाली विभिन्न तरह की आवश्यक सामग्री है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने स्टेशनरी माना है। इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह उचित टिप्पणी की है कि ये वस्तुएं किस प्रविष्टि में अंकित है, पर व्यवसायी ने कोई जवाब नहीं दिया गया है एवं उक्त प्रविष्टि में केवल किताबें एवं अन्य पढ़ने योग्य Periodical, Journal, Maps, Charts एवं Globes ही अंकित हैं, न कि पढ़ाने के कार्य में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं हैं। रोलर बोर्ड या रोलर चार्ट या पॉइन्टर इस प्रविष्टि में अंकित नहीं है अतः इन्हें करमुक्त बताना अविधिक है, परन्तु यदि किन्हीं "चार्ट" का विक्रय व्यवहारी द्वारा किया गया है तो वह उक्त प्रविष्टि संख्या 5 में अंकित होने से करमुक्त है। चूंकि हमारे समक्ष वस्तुवार विवरण नहीं है, अतः "चार्ट" के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि व्यवहारी द्वारा की गई "चार्ट" की बिक्री के विवरणों की जांच कर उस पर किये गये करारोपण को मय ब्याज कम किया जावे। व्यवहारी इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश करें।

20. फलतः क्लिपबोर्ड एवं चार्ट को छोड़कर अन्य समस्त वस्तुओं पर किये गये करारोपण को मय ब्याज यथावत रखा जाता है। क्लिपबोर्ड को तख्ती के रूप में करमुक्त होने से इस पर आरोपित किये गये कर एवं ब्याज को अपास्त किया जाता है एवं केवल "चार्ट" के सम्बन्ध में जांच कर मांग में कमी करने के निर्देश दिये जाते हैं।

21. अपील आदेश के विरुद्ध राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों पर विचार किया गया, इसमें राजस्व द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों में आरोपित शास्ति को अपास्त करने को आक्षेपित किया गया है। अपील आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इन प्रकरणों में करदेयता का बिन्दु विवादित था, परन्तु सभी तरह के खरीद-बिक्री के संब्यवहार लेखा-पुस्तकों



सदस्य
(राजीव घोषी)
15/11/18

सदस्य
(क. एल. जैन)

23. निर्णय सुनाया गया।

22. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आधिकार रूप से स्वीकार की जाकर, तस्वी पर आयोजित किये गये कर व ब्याज को अपारत किया जाता है एवं चार्ट की बिक्री पर जांच कर मांग में कमी करने के निर्देश दिये जाते हैं। शेष बिन्दुओं पर अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी राजस्व द्वारा शास्त्र के बिन्दु पर प्रस्तुत सभी अपील अस्वीकार की जाती है।

22. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आधिकार रूप से स्वीकार की जाकर, तस्वी पर आयोजित किये गये कर व ब्याज को अपारत किया जाता है एवं चार्ट की बिक्री पर जांच कर मांग में कमी करने के निर्देश दिये जाते हैं। शेष बिन्दुओं पर अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी राजस्व द्वारा शास्त्र के बिन्दु पर प्रस्तुत सभी अपील अस्वीकार की जाती है।

1-24. अपील संख्या - 1832 से 1843/2015 एवं 355 से 366/2016/करौली।